

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
संख्या: 2520/VII-1/2018/16 अपील/18
देहरादून, दिनांक: 20 नवम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

मैं साई स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम कटारपुर, तहसील व जनपद हरिद्वार के पक्ष में स्वीकृत स्टोन क्रेशर का दिनांक 2.7.2018 को राजस्व विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें प्रपत्र एल के अनुसार 14607 घनमीटर उपखनिज तथा स्थल पर की गयी पैमाईश के अनुसार 23945 घनमीटर उपखनिज पाया गया। इस प्रकार 9338 घनमीटर उपखनिज का भण्डारण अधिक पाये जाने पर उक्त स्टोन क्रेशर को सीज किया गया तथा उक्तानुसार 9338 घनमीटर उपखनिज का अवैध भण्डारण किये जाने पर प्रश्नगत स्टोन क्रेशर पर कुल ₹ 73,90,260.00 की धनराशि आरोपित किये जाने के संबंध में जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा उत्तर अभिलेखीय साक्ष्य सहित एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराये जाने हेतु स्टोन क्रेशर स्वामी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 11.7.2018 जारी किया गया। प्रबन्धक/स्वामी मैं साई स्टोन इण्डस्ट्रीज द्वारा ₹ 50,000/- का चालान जमा कराते हुए पुनः पैमाईश कराये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी, हरिद्वार के आदेश दिनांक 27.7.2018 के अनुपालन में उपजिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा पत्र दिनांक 16.8.2018 द्वारा प्रेषित आख्या में अवगत कराया गया कि उनके द्वारा उप निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार एवं राजस्व टीम के साथ दिनांक 15.8.2018 को स्टोन क्रेशर स्थल की संयुक्त पैमाईश की गयी, जिसमें 16458.04 घनमीटर उपखनिज पाया गया। इसके अतिरिक्त उक्त आख्या में अवगत कराया गया कि पूर्व में पैमाईश के समय पाये गये दो उपखनिज के ढेर स्थल पर नहीं पाये गये, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त उपखनिज कहीं स्थानान्तरित कर दिया गया है। स्टोन क्रेशर के परिसर/चाहरदीवारी के बाहर भी क्रशड खनिज का भण्डारण किया गया है। परिसर के बाहर का यह भाग सीसीटीवी से कवर नहीं है ऐसे में पूर्व में प्रेषित जांच में प्रेषित की गयी मात्रा को ही सही अवधारित करते हुए कार्यवाही करने हेतु उपजिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा आख्या प्रेषित की गयी। उपजिलाधिकारी, हरिद्वार की उक्त आख्या के क्रम में जिलाधिकारी, हरिद्वार के आदेश दिनांक 25.8.2018 द्वारा मैं साई स्टोन क्रेशर को सीज मुक्त किये जाने तथा पेनाल्टी की धनराशि जमा किये जाने के आदेश पारित किया गया। जिलाधिकारी, हरिद्वार के उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 11.7.2018 तथा आदेश दिनांक 25.8.2018 के विरुद्ध श्री आशीष बंसल, श्री साई स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम कटारपुर, लक्सर रोड, तहसील व जनपद हरिद्वार द्वारा शासन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई।

2. प्रकरण के संबंध में शासन स्तर पर दिनांक 23.10.2018 को सुनवाई निर्धारित की गई तथा निर्धारित सुनवाई की तिथि से पत्र सं 2520/VII-1/2018/16 अपील/17, दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 द्वारा अपीलार्थी को संसूचित करते हुए सुनवाई में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया, दिनांक 23.10.2018 को हुई सुनवाई में उपस्थिति निम्नवत् रही :—

1. अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. संयुक्त निदेशक, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. उप निदेशक, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार।
4. श्री आशीष बंसल, अपीलार्थी।

3. उक्त सुनवाई में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया गया। सुनवाई में अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि निरीक्षण के समय प्रपत्र एल के अनुसार स्टोन क्रेशर में 14607 घनमीटर उपखनिज था, जबकि निरीक्षण में संबंधित अधिकारियों द्वारा 23945 घनमीटर उपखनिज दर्शाया गया है तथा पुनः किये गये निरीक्षण में 16458.04 घनमीटर उपखनिज पाया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील

में उल्लिखित किया गया है कि उनका स्टोन क्रेशर दिनांक 11.7.2018 से पूर्व सीज किया गया, जिसे दिनांक 27.8.2018 को सीजमुक्त किया गया, इस प्रकार उनके द्वारा स्टोन क्रेशर क्षेत्रान्तर्गत उपखनिज को अन्यत्र ले जाया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा स्टोन क्रेशर पर अवैध उपखनिज भण्डारण पर आरोपित धनराशि उचित नहीं है। तदनुसार अपीलार्थी द्वारा जिलाधिकारी, हरिद्वार के नोटिस दिनांक 11.7.2018 तथा आदेश दिनांक 25.8.2018 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4. सुनवाई में उप निदेशक, खनन द्वारा अवगत कराया गया है कि मै० साई स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम कटारपुर, तहसील व जनपद हरिद्वार के पक्ष में स्वीकृत स्टोन क्रेशर का दिनांक 15.8.2018 को किये गये पुनः निरीक्षण में पैमाईश के समय पाए गये दो उपखनिज के ढेर स्थल पर नहीं पाये गये, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त उपखनिज कहीं स्थानान्तरित कर दिया गया है।

उक्त सुनवाई में अपीलार्थी के अपीलीय पत्र एवं संबंधित अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरान्त निम्न आदेश पारित किये जाते हैं :—

आदेश

जिलाधिकारी, हरिद्वार के आदेश दिनांक 25.8.2018 द्वारा मै० साई स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम कटारपुर, तहसील व जनपद हरिद्वार के पक्ष में स्वीकृत स्टोन क्रेशर पर उपखनिज का अवैध भण्डारण किये जाने पर आरोपित कुल धनराशि ₹ 73,90,260.00 (₹ तिहतर लाख नब्बे हजार दो सौ साठ मात्र) के सापेक्ष ₹ 5,00,000.00 (₹ पाँच लाख मात्र) की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में 01 सप्ताह के भीतर जमा कर धनराशि जमा किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने की दशा में अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व तथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर पुनः जांच करते हुए अपीलार्थी का भी पक्ष सुनते हुए जांच रिपोर्ट/आख्या 15 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, हरिद्वार को निर्देशित किया जाता है। उक्तानुसार जांच रिपोर्ट/आख्या शासन में प्राप्त होने के उपरान्त गुणवगुण के आधार पर पुनः सुनवाई करते हुए यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा।

बृजेश कुमार संत
अपर सचिव

संख्या: २५२० (१)/VII-1/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
3. उप निदेशक, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार।
4. श्री आशीष बंसल, मै० साई स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम कटारपुर, तहसील व जनपद हरिद्वार।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(बृजेश कुमार संत)
अपर सचिव